

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 06/2013

RCMS Case No. 06/2013

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
श्री रतनसिंह देवडा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 गिरधारीलाल पुत्र पुखराज जाति घांची (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स प्रकाश डेयरी, नया बस स्टेण्ड, मैन सुमेरपुर रोड़, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :-

1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी




—: निर्णय :-

दिनांक: 31/12/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर में पदस्थापित है। दिनांक 10.09.2012 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स प्रकाश डेयरी, नया बस स्टेण्ड, मैन सुमेरपुर रोड़, पाली से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां रखे हुए 30 लीटर मिक्स दूध में से 2000 मिलीलीटर दूध को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा दूध को प्रक्रिया अनुसार चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर-164 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना दूध को Sub Standard/ Does not conform का माना है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standard/ Does not conform स्तर के दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी को यह कार्य करते हुए अधिक समय नहीं हुआ है तथा इसके अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के विशेषज्ञ की जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो मानक दर्शाए गए हैं, उनमें अप्रार्थी की फर्म से लिया गया दूध मानकों पर खरा उतरा है, मात्र मिल्क फेट में


जिला कलेक्टर, पाली

दशमलव 3 प्रतिशत (.3%) कम पाया गया है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा मात्र दूध का विक्रय किया जाता है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट आदि नहीं की जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.09.2012 को अप्रार्थी की फर्म से दूध को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-164 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./518/एक्ट/2012/519 दिनांक 19.09.2012 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-501 को Sub Standard/ Does not conform स्तर का माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub Standard/ Does not conform खाद्य वस्तु (दूध) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 1,00,000/- अक्षरे एक लाख रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(भागीरथ बिश्नोई)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 21/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली